<u>स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में चिकित्सालय परिसर में वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 हेतु केन्टीन की नीलामी की शर्ते ।</u>

1. नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया बोली के माध्यम से स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जलेसर रोड, फिरोजाबाद परिसर में सम्पन्न की जायेगी।
2. जिला चिकित्सालय परिसर में निम्न तीन स्थानों पर अलग–अलग केन्टीन व्यवस्था हेतु एक ही नीलमी बोली लगाई जाएगी–
   - इमरजेन्सी
   - 100 शैय्या
   - पुरूष जिला चिकित्सालय
3. नीलमी को प्रकिया में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक बोली दाताओं को दिनांक 15.12.2022 से दिनांक 24.12.2022 के अपरान्ह 04:00 बजे तक निम्नांकित अभिलेखों की स्वप्रामणित प्रतियां एक बन्द लिफाफा में रखकर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जलेसर रोड, फिरोजाबाद परिसर में आकर जमा करना होगा।
   - नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बोलीदाता का पैनकार्ड, आधार कार्ड तथा जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
   - फर्म स्वामी को प्रदत्त वैधचरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
   - वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 का ITR जो कि C.A. द्वारा प्रमाणित हो।
   - नीलामी बोलीदाता के विरुद्ध किसी भी न्यायालय आदि में कोइ वाद (केस) दर्ज पंजीकृत ना होने एवं काली सूची (Black Listed) में दर्ज ना होने का 100 रू0 के स्टाप पेपर पर शपथ पत्र।
   - किसी भी सरकारी कार्यालय/निगम में केन्टीन ठेका चलाने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव (वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2021–22 के बीच की अवधि) प्रमाण पत्र जोकि सम्बन्धित सरकारी कार्यालय/निगम द्वारा निर्गत स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना होना।
   - जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र जो कि धनराशि रू0 500000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) से कम का ना हो।
   - एफ0एस0एस0ए0आई0 का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
4. दिनांक 24.12.2022 के अपरान्ह 04:00 बजे तक इच्छुक नीलमी बोली दाताओं द्वारा जमा किये गये समस्त अभिलेखों/प्रपत्रों की जांच की जायेगी एवं जॉचोपरान्त दिनांक 26.12.2022 को अपरान्ह 04:00 बजे तक अर्ह नीलामी बोलीदाताओं की सूची कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदार्शित की जाएगी।
5. अर्ह नीलामी बोलीदाता दिनांक 28.12.2022 को पूर्वान्ह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक तीनों स्थानों के लिए एकमुश्त जमानत की धनराशि रू 12000.00 (रू0 बारह हज़ार म़ात्र) नगद स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जलेसर रोड, फिरोजाबाद में उपस्थित होकर जमा करेगें। नीलामी/बोली की प्रक्रिया दिनांक 28.12.2022 के अपरान्ह् 03:00 बजे से प्रारम्भ होगी।
6. चिकित्सालय परिसर में केन्टीन व्यवस्था हेतु न्यूनतम आरक्षित बोली रू0 1,20,000 (रू0 एक लाख बीस हजार मात्र) प्रतिवर्ष निर्धारित की जा रही है। इच्छुक नीलामी बोलीदाता को इस धनराशि से अधिक धनराशि की बोली लगाना अनिवार्य होगा।
7. प्रत्येक अगली बोली न्यूनतम रू0 5000/– बढ़ाकर की जाएगी।

8. उच्चतम बोली दाता की जमानत की धनराशि रोककर अन्य सभी बोली दाताओं की जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी ।
9. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी की समाप्ति के पश्चात् अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत की धनराशि, जमानत धनराशि को सम्मिलित करते हुए तत्काल नगद रूप में जमा करनी होगी। ऐसा ना करने पर जमानत धनराशि के रूप में जमा की गई धनराशि शासन के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।
10. उच्चतम बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् उच्चतम बोली के मूल्य का अवशेष 75 प्रतिशत तथा कुल धनराशि पर निर्धारित GST धनराशि दिनांक 07.01.2023 तक कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा बोली दाता द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत जमानत धनराशि जब्त करने के अधिकार विभाग का होगा।
11. उच्चतम बोलीदाता द्वारा पूर्ण धनराशि जमा कराने के तत्काल बाद ही केन्टीन की समस्त व्यवस्थाएँ करनी होगी।
12. नीलामी प्रक्रिया में बोली दाता द्वारा स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा।
13. नीलमी के फलस्वरूप सफल बोली दाता को जिला चिकित्सालय परिसर में केन्टीन को सुरक्षात्मक व व्यवस्थित रूप में चलाने हेतु महाविद्यालय स्तर से निर्धारित स्थानों पर 10x15 फीट की जगह/टीनसेट लगाकर दी जायेगी तथा इसके अतिरिक्त अन्य व्यवस्था सफल बोलीदाता द्वारा स्वयं करनी होगी।
14. सफल बोली दाता को केन्टीन में कोविड–19 के नियमों का अनुपालन करना होगा।
15. केन्टीन का संचालन 24X7 रहेगा। जिसमे पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता बोली दाता को करनी होगी।
16. केन्टीन एरिया में समुचित साफ–सफाई की व्यवस्था सफल बोली दाता को रखनी होगी।
17. नीलामी प्रक्रिया को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्या स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में निहित होगा।
18. सफल बोली दाता को जलकर एवं विद्युत बिल का भुगतान करना होगा।
19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय जनपद फिरोजाबाद होगा।

आज्ञा से
प्रधानाचार्या